कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 09/2020-21/

दिनांक : /01/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, मंगलौर,

जनपद – हरिद्वार ।

विषय : नगर पालिका परिषद, मंगलौर, जनपद- हरिद्वार का वर्ष 2019-20 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **01** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **04** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 14 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 09/2020-21/ दिनांक: /01/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिवदेहरादून। ,उत्तराखण्ड ,शहरी विकास विभाग ,

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर, जनपद- हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर0के0 जोगी, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में श्री नित्यानन्द सिंह, स0ले0प0अ0, एवं श्री राजवेश भट्ट, व0ले0प0, द्वारा दिनांक **20 जनवरी 2020** से **27 जनवरी 2020** तक संपादित की गयी। थी जिसमें अवधि 04/ 2017 से 03/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

1. **)i(इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र** -:

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **8.25 वर्ग किमी**

(ii) जनसंख्या: - **52911**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: - 20

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: 05

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:

(vi) कर्मचारियों की संख्या: -55

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: - **दुकाने, कार्यालय भवन**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

<table>
<tr><td colspan="11"><u>भाग-I. 2(ii)(अ)</u></td></tr>
<tr><td colspan="11">कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="11">समस्त धनराशि (`) मे</td></tr>
<tr><td rowspan="3">वर्ष</td><td colspan="2" rowspan="2">प्रारम्भिक अवशेष</td><td colspan="2" rowspan="2">स्थापना (NP)</td><td colspan="2" rowspan="2">गैर स्थापना (P)</td><td colspan="4">अवशेष</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्थापना (NP)</td><td colspan="2">गैर स्थापना (P)</td></tr>
<tr><td>स्थापना (NP)</td><td>गैर स्थापना (P)</td><td>आवंटन</td><td>व्यय</td><td>आवंटन</td><td>व्यय</td><td>आधिक्य (+)</td><td>बचत (-)</td><td>आधिक्य (+)</td><td>बचत (-)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">भारत सरकार द्वारा 11 फरवरी 2017 को जारी किए गये General Financial Rule, 2017 के द्वारा स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।</td></tr>
</table>

धनराशि (₹ में)

<u>कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण</u>

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	1217	33594000	33595217	16500208	17095009
2	राज्य वित्त आयोग	798015	142128000	142926015	138133535	4792480
3	अवस्थापना विकास निधि	500787	4065000	4565787	500787	4065000
4	आई.एच.एस.डी.पी.	16078701	0	16078701	1236939	14841762
5	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय हेतु)	68644	0	68644	0	68644
6	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	0	80000	80000	0	80000
7	विधायक निधि	0	7014000	7014000	4244000	2770000
8	रोड कटिंग से प्राप्त धनराशि	0	22882441	22882441	20355928	2526513
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
10	पालिका निधि (जमानत एवं ब्याज सहित)	2179562	10879874	13059436	5319971	7739465
	कुल योग	**19626926**	**220643315**	**240270241**	**186291368**	**53978873**

धनराशि (₹ में)

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	14वां वित्त आयोग	17095009	29534786	46629795	31153588	15476207
2	राज्य वित्त आयोग	4792480	142667000	147459480	90382722	57076758
3	अवस्थापना विकास निधि	4065000	0	4065000	3518236	546764
4	आई.एच.एस.डी.पी.	14841762	0	14841762	315116	14526646
5	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय हेतु)	68644	0	68644	68644	0
6	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	80000	0	80000	0	80000
7	विधायक निधि	2770000	2128412	4898412	3732379	1166033
8	रोड कटिंग से प्राप्त धनराशि	2526513	54275292	56801805	40599724	16202081
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	28920000	28920000	26000000	2920000
10	पालिका निधि (जमानत एवं ब्याज सहित)	7739465	3095347	10834812	6536899	4297913
	कुल योग	**53978873**	**260620837**	**314599710**	**202307308**	**112292402**

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	14वां वित्त आयोग	15476207	49095000	64571207	27109255	37461952
2	राज्य वित्त आयोग	57076758	142664000	199740758	119753478	79987280
3	अवस्थापना विकास निधि	546764	0	546764	303202	243562
4	आई.एच.एस.डी.पी.	14526646	0	14526646	72702	14453944
5	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय हेतु)	0	400000	400000	0	400000
6	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	80000	0	80000	80000	0
7	विधायक निधि	1166033	0	1166033	919416	246617
8	रोड कटिंग से प्राप्त धनराशि	16202081	3049373	19251454	15230749	4020705
9	प्रधानमंत्री आवास योजना	2920000	8058000	10978000	8280000	2698000
10	पालिका निधि (जमानत एवं ब्याज सहित)	4297913	4311422	8609335	7380250	1229085
	कुल योग	**112292402**	**207577795**	**319870197**	**179129052**	**140741145**
लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव उत्तराखण्ड नगरीय लेखा संग्रह द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						
(ii) इकाई द्वारा अनुदान पंजिका तथा निर्माण कार्य पंजिका नहीं बनाई जा रही है।						

धनराशि (₹ में)

भाग-I. 2(ii)(स)						
कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर, हरिद्वार का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
2017-18	14वां वित्त आयोग	1217	33594000	33595217	16500208	17095009
2018-19	14वां वित्त आयोग	17095009	29534786	46629795	31153588	15476207
2019-20	14वां वित्त आयोग	15476207	49095000	64571207	27109255	37461952
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय हेतु)	68644	0	68644	0	68644
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय हेतु)	68644	0	68644	68644	0
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय हेतु)	0	400000	400000	0	400000
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	0	80000	80000	0	80000
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	80000	0	80000	0	80000
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन (IEC)	80000	0	80000	80000	0
2017-18	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	28920000	28920000	26000000	2920000
2019-20	प्रधानमंत्री आवास योजना	2920000	8058000	10978000	8280000	2698000

भाग-2 (अ)

प्रस्तर 01- ₹5,35,261/- की आय से संबन्धित रसीदें एवं ₹ 1,25,48,217/-के भुगतान से संबन्धित वाउचर लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत ना किया जाना एवं रोकड़ बही का रखरखाव न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-I अध्याय III के नियम 27(A) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में रोकड़ बही का रख-रखाव प्रपत्र-2 अथवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाना आवश्यक है जिसमें कार्यालय द्वारा समस्त प्राप्तियों/सरकारी धन व उसके बैंक/कोषागारों में जमा किए जाने का विवरण तथा कोषागार/बैंको से बिलों/चेकों के माध्यम से आहरित/व्यय धनराशि का अलग-अलग स्तम्भ(Column) में अवश्य अंकन किया जाना चाहिए। किसी भी लेन-देन के बाद उसी दिन रोकड़-बही में इसकी प्रविष्टि करने तथा रोकड़-बही की प्रतिदिन लेखाबन्दी की जानी चाहिए एवं अवशेष धनराशि का मिलान किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तम्भ के अवशेष को कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के अन्तिम अवशेष का बैंक/कोषागार/नगद रोकड़ से मिलान किया जाना चाहिए एवं इस सम्बंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रमाण-पत्र भी लगाना चाहिए।

Uttarakhand Municipal Accounting Manual – Part II (Accounting Procedures, Rules and Instructions)के नियम 2.2.2(a)में भी यह निर्देशित किया गया है कि Cash Book (Form UAM-12) shall be the Book of Original Entry for recording transactions involving cash and/or bank. The Cash Book may also be referred to as the Cash and Bank Book. The Cash Book has two sides, viz. “Receipt” and “Payment”. All collections on behalf of the ULBs shall be recorded on the “Receipt” side and all the payments shall be recorded on the “Payment” side.

कार्यालय नगर पालिका परिषद –मंगलौर, जनपद – हरिद्वार के आय-व्यय एवं लेन-देनों के लेखांकन से संबन्धित अभिलेखोंकी जांच (दिसम्बर, 2020) में पाया गया कि इकाई द्वारा रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था, अपितु इकाई द्वारा SFC, CFC, PMAY(U), IHSDP, अवस्थापना निधि एवं विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के लिए पंजिकाएँ बनायी गयी थी, जिनमें प्राप्त धनराशि के सापेक्ष केवल व्यय – विवरण ही दर्शाया जा रहा था। अतः इकाई द्वारा किए गए समस्त लेन-देनों का समुचित लेखांकन न किए जाने के कारण लेन-देनों की वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होती है।

आगे जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा माहवार/वर्षवार बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया जा रहा था।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के सम्बंध में विगत लेखापरीक्षा में भी आपत्ति व्यक्त की गयी थी, जिसके क्रम में इकाई द्वारा भविष्य में आपत्तियों की पुनरावृत्ति न होने एवं वित्तीय नियमानुसार अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया था, फिर भी इकाई द्वारा आतिथि तक उपरोक्त का अनुपालन नहीं किया गया था।

इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये आय-व्यय विवरण के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा माह – नवम्बर, 2019 का चयन आय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया था, जिसमें इकाई को ₹ 5,35,261/- की धनराशि की प्राप्ति हुई थी।

इसी प्रकार माह–मार्च, 2020 को व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया था, जिसमें ₹ 3,85,60,771/- की धनराशि का भुगतान किया गया था ।

लेखापरीक्षा दल द्वारा लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या 46, दिनांक 16.12.2020 द्वारा अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त चयनित माहों के भुगतान के वाउचर, प्राप्ति की रसीदें, बैंक पास बुक तथा रोकड़ बही लेखापरीक्षा के समक्ष विस्तृत जांच के लिए प्रस्तुत किये जायेँ।

इकाई की लेखापरीक्षा तिथि, जो दिनांक 18.12.2020 को समाप्त होनी थी, तक इकाई द्वारा उपरोक्त रसीदें एवं वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये। तदुपरान्त इकाई की लेखापरीक्षा तिथि में तीन कार्य दिवस बढ़ाए जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह –नवम्बर, 2019 की समस्त रसीदें (धनराशि ₹

5,35,261/-) एवं अन्य संबन्धित अभिलेख (यथा –बैंक पास बुक,प्राप्ति की रोकड़ बही आदि) लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किये गए।

इसके अतरिक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत व्यय से संबन्धित वाउचरों में भी निम्नवत दर्शाये गए वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये हैं:-

क्र .सं.	मद का नाम	वाउचर सं.	दिनांक	धनराशि (₹ में)
1	TFC	B84480015	04.03.2020	271397
2	TFC	B84480017	04.03.2020	2796710
3	TFC	B84480018	04.03.2020	233160
4	TFC	B84480019	04.03.2020	94872
5	TFC	B84480095	20.03.2020	330967
6	TFC	B84480147	25.03.2020	135932
7	TFC	B84480148	25.03.2020	172437
Total				**4035475**
8	SFC	B84480156	16.03.2020	48324
9	SFC	B84480157	16.03.2020	4676
10	SFC	B84480014	04.03.2020	16360
11	SFC	B84480008	04.03.2020	213700
12	SFC	B84480009	04.03.2020	191647
13	SFC	B84480010	04.03.2020	116543
14	SFC	B84480016	04.03.2020	32200
15	SFC	B84480020	04.03.2020	607922
16	SFC	B84480070	06.03.2020	1517321
17	SFC	B84480051	07.03.2020	761823
18	SFC	B84480093	20.03.2020	349500
19	SFC	B84480036	18.03.2020	303177
20	SFC	B84480158	27.03.2020	381833
21	SFC	B84480168	31.03.2020	98635
22	SFC	B84480169	31.03.2020	48271
23	SFC	B84480150	25.03.2020	1269957
24	SFC	B84480166	31.03.2020	2401368
Total				**8363257**

इस प्रकार TFC के अन्तर्गत ₹ 40,35,475/- की धनराशि के वाउचर,SFCके अन्तर्गत ₹ 83,63,257/- की धनराशि के वाउचर एवं पालिका निधि आदि के अन्तर्गत ₹ 1,49,485/- की धनराशि के वाउचर अर्थात कुल ₹ 1,25,48,217/-की धनराशि के वाउचर इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये|

अतः ₹ 5,35,261/- की धनराशि की आय से संबन्धित रसीदें/अभिलेख एवं ₹ 1,25,48,217/- की धनराशि के भुगतान से संबन्धित वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इकाई द्वारा व्यय हेतु चयनित माह के प्रस्तुत वाउचरों पर Paid and Cancelled का स्टाम्प लगाकर भुगतान के पूर्ण विवरण (यथा–Voucher/ ChequeNumber,Voucher/ Cheque Date आदि) का अंकन नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि पालिका में सहायक लेखाकार का पद रिक्त है। शासन द्वारा किसी भी सहायक लेखाकर की नियुक्ति न किए जाने एवं पालिका में कार्यरत कार्मिकों को लेखाकार का अनुभव न होने के कारण रोकड़ बही का रख रखाव समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा वर्ष 2019-20 में रोकड़ बही नहीं बनाई गयी थी।

उपरोक्त अप्रस्तुत आय से संबन्धित रसीदें एवं भुगतान सम्बन्धी वाउचर के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करा दिये जाएंगे। वाउचरों पर Paid and Cancelledका स्टाम्प लगाकार भुगतान का पूर्ण विवरणरखने हेतु संबन्धित लेखाकर को निर्देशित किया गया है।

अतः ₹ 5,35,261/- की आय एवं ₹ 1,25,48,217/-के भुगतान से संबन्धित वाउचर प्रस्तुत ना करने एवं रोकड़ बही का रखरखाव न किये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा आय व्यय को सत्यापित नही कर पायी तथा अनियमियताओं की सम्भावनायें से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 01- धनराशि ₹ 24.46 लाख के व्यय में वित्तीय नियमो का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के बिन्दु 35 के अनुसार ₹ 2.50 लाख से अधिक की सभी अधिप्राप्तियाँ इलेक्ट्रोनिक माध्यम (ई-प्रोक्यूरमेंट/GeM) से की जाएंगी।

नगर पालिका परिषद मंगलौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा दिनांक 27.02.19 को प्रस्ताव संख्या 03/32 पारित कर 34 सी0सी0टी0वी0 कैमरों को क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके क्रम में इकाई ने दिनांक 18.12.19 को निविदा आमंत्रित कर कम दर कोड करने वाली फर्म से ₹ 24.46 लाख की लागत से सी0सी0टी0वी0 कैमरों का क्रय किया गया जबकि नियमानुसार यह अधिप्राप्ति GeM के माध्यम से की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये उत्तर में बताया कि इकाई का रजिस्ट्रेशन जेम पोर्टल पर नहीं होने के कारण निविदा आमंत्रित की गई।

अतः ₹ 24.46 लाख के व्यय में वित्तीय नियमो की अनुपालन न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 02- ₹ 75,329/-की धनराशि की कटौती कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांकित 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गयी है,जो दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाएगा।

नगर पालिका परिषद–मंगलौर, जनपद –हरिद्वार के वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबन्धित लेखाभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी निर्माण कार्यों में रॉयल्टी के रूप में ₹ 3,01,315/-की धनराशि की कटौती कर चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराई गयी थी। (विवरण संलग्न)

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार इकाई द्वारा रॉयल्टी की 25% धनराशि की कटौती करके जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी, परन्तु इकाई द्वारा कटौती नहीं की गयी है जिसके फलस्वरूप **₹ 75,329/-** की धनराशि की न तो कटौती की गयी और न ही राजकोष में जमा कराई गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आपति को स्वीकार करते हुये बताया कि संबन्धित ठेकेदारों को रायल्टी की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किए गए हैं। शीघ्र ही वसूली कर जिला न्यास निधि अंशदान में जमा कराई जाएगी।

अतः ₹ 75,329/- की रॉयल्टी की कटौती कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा ना कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक **(धनराशि ₹ में)**

क्रम संख्या	दिनांक	चालान/वाउचर/चेक संख्या	जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी की 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा की जाने वाली धनराशि
1	20.1220.19	PL6500804112191245	1555	388.75
2	20.1220.19	PL6500804112191238	1490	372.50
3	06.12.2019	PL6500804112191199	2772	693.00
4	25.02.2020	PL6500804102201393	5624	1406.00
5	12.02.2020	PL6500804102201363	10598	2649.50
6	02.11.2019	PL6500804111191135	1248	312.00
7	20.1220.19	PL6500804112191251	1833	458.25
8	31.12.2019	PL6500804112191290	2578	644.50
9	26.09.2019	PL6500804109191081	1774	443.50
10	28.10.2020	PL6500804110201267	7352	1838.00
11	07.12.2019	PL6500804112191207	4421	1105.25
12	06.12.2019	PL6500804112191198	4546	1136.50
13	24.06.2020	PL6500804106201084	2470	617.50
14	12.02.2020	PL6500804102201361	1398	349.50
15	16.11201.9	PL6500804111191170	1799	449.75
16	25.02.2020	PL6500804102201386	16088	4022.00
17	18.11201.9	PL6500804111191186	4725	1181.25
18	06.12.2019	PL6500804112191203	7990	1997.50
19	25.09.2019	PL6500804109191073	1817	454.25
20	20.12.2019	PL6500804112191248	1147	286.75
21	07.11201.9	PL6500804111191152	2661	665.25
22	31.12.2019	PL6500804112191288	1788	447.00
23	25.02.2020	PL6500804102201387	23131	5782.75
24	14.05.2020	PL6500804105201026	4196	1049.00
25	21.09.2019	PL6500804109191065	2312	578.00
26	23.03.2020	PL6500804103201472	8937	2234.25
27	26.08.2020	PL6500804108201154	3433	858.25
28	27.12.2019	PL6500804112191268	81928	20482.00
29	18.08.2020	PL6500804108201122	2912	728.00
30	21.12.2019	PL6500804112191258	1659	414.75
31	14.05.2020	PL6500804105201025	2310	577.50
32	16.05.2020	PL6500804105201038	1829	457.25
33	16.11201.9	PL6500804111191176	3105	776.25
34	26.09.2019	PL6500804109191083	1802	450.50
35	07.12.2019	PL6500804112191208	2091	522.75
36	12.02.2020	PL6500804102201369	2755	688.75
37	07.12.2019	PL6500804112191209	3545	886.25
38	18.05.2020	PL6500804105201046	3733	933.25
39	03.10.2020	PL6500804110201207	2748	687.00
40	03.03.2020	PL6500804103201408	1381	345.25
41	13.01.2020	PL6500804101201315	4241	1060.25
42	18.08.2020	PL6500804108201123	6555	1638.75
43	06.12.2019	PL6500804112191206	1240	310.00
44	12.02.2020	PL6500804102201360	2716	679.00
45	27.09.2019	PL6500804109191091	1398	349.50
46	25.02.2020	PL6500804102201384	17978	4494.50
47	13.02.2020	PL6500804102201375	2755	688.75
48	12.11201.9	PL6500804111191164	2704	676.00
49	13.01.2020	PL6500804101201318	4161	1040.25
50	07.08.2020	PL6500804108201115	3578	894.50
51	18.08.2020	PL6500804108201129	1486	371.50
52	21.03.2020	PL6500804103201468	4508	1127.00
53	03.10.2020	PL6500804110201206	6514	1628.50
कुल योग			**301315**	**75328.75**

भाग II(ब)

प्रस्तर 03 - सफाई व्यवस्था हेतु क्रय किए गये वाहनों का पंजीकरण किए बिना परिसंचालन किया जाना।

The Motor Vehicle Act, 1988 की धारा 39 के अनुसार "No person shall drive any motor vehicle and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place unless the vehicle is registered in accordance with this chapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner"

नगर पालिका परिषद, मंगलौर के वाहनों से संबन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा नगर पालिका परिक्षेत्र में सफाई व्यवस्था एवं डोर-टू-डोर कूड़े के संग्रहण हेतु विभिन्न वर्षों के दौरान 06 वाहनों का क्रय किया गया था, जिनका विवरण निमन्वत है –

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	क्रय वर्ष	पंजीकरण संख्या	किस कार्य हेतु उंपयोग किया जा रहा है
1	महिंद्रा युवराज ट्रैक्टर 215	2016	-	डोरटू डोर कूड़ा संग्रहण-
2	महिंद्रा युवराज ट्रैक्टर 215	2016	-	डोरटू डोर कूड़ा संग्रहण-
3	जे 0बी0सी0	2012	-	कूड़ा निस्तारण अतिक्रमण/
4	आयशर 333-ट्रैक्टर	2013		डोरटू डोर कूड़ा संग्रहण-
5	आयशर 380-ट्रैक्टर	2013	-	डोरटू डोर कूड़ा संग्रहण-
6	जे(मिनी)प्लस 0बी0सी0	2020/02		कूड़ा निस्तारण अतिक्रमण/

आगे जाँच में पाया गया कि उक्त वाहनों का लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक पंजीकरण नहीं करवाया गया था । इकाई द्वारा उक्त वाहनों का बिना पंजीकरण करवाये ही पालिका परिक्षेत्र में कूड़े के द्वार-द्वार संग्रहण एवं सफाई कार्य हेतु संचालन किया जा रहा था, जोकि नियम विरुद्ध है ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

अतः सफाई व्यवस्था हेतु क्रय किए गये वाहनों का पंजीकरण किए बिना परिसंचालन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 04 - धनराशि ₹ 502.91 लाख की लागत के 32 निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।

नगर पालिका परिषद, मंगलौर के निर्माण से संबन्धित पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य संपादित किए जाने थे। सभी निर्माण कार्यों का आगणन इकाई द्वारा तैयार कर कार्यों के सम्पादन हेतु दिनांक 25.10.19 एवं 21.12.19 को निविदा आमंत्रित की गई थी। इकाई द्वारा निविदा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर (नवम्बर 2019 से फरवरी 2020 तक) उपरोक्त कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यादेश निर्गत किए गए थे। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्यों को 90 दिनों में पूर्ण करना था। कार्यों का विवरण निम्नवत हैः-

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल लागत रु 0
1	मंगलौर लिब्बर हेड़ी रोड पर स्थित नाले तालाब से शरीफ के खेत की ओर नाले की दीवार व सी0सी 0द्वारा नाले की साईड पटरी का निर्माण	19,61,413/-
2	मंगलौर मुंडलाना रोड पर स्थित शशि भूषण के खेत से मुफ़्ती राशि के खेत की ओर सी0सी 0द्वारा नाले की साईड पटरी का निर्माण	15,95,108/-
3	मंगलौर मुंडलाना रोड पर स्थित इरशाद के मकान के पास से जनेश्वर के खेत की ओर नाला निर्माण व पटरी निर्माण	15,23,161/-
4	मंगलौर वार्ड न 15 0पठानपुरा में हजारी के मकान से अनीस परचून की दुकान की ओर क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत, नाले पर चैनल आदि का कार्य	9,78,192/-
5	वार्ड न 15-0पाठनपुरा में रुई मशीन के पास से फौजी के मकान की ओर नाले की मरम्मत चैनल आदि का निर्माण	12,90,375/-
6	वार्ड न 20-0किला में शिफा पहलवान के मकान से अली हैदर जैदी के मकान की ओर सी0सी 0सड़क व नाली निर्माण का कार्य	7,80,925/-
7	वार्ड न 15-0पठानपुरा रोड पर शियाओं वाली ईदगाह के पास नाला मरम्मत	1,14,000/-
8	वार्ड न 14-0सरायजीज में पुलिया के पास बबलू के खेत से अनीस के खेत की ओर नाले की साइड पर पटरी निर्माण	17,18,000/-
9	लिम्बरहेड़ी रोड पर प्रमोद के बाग से हमीद के खेत तक नाले की साइड पर पटरी निर्माण	15,64,000/-
10	वार्ड न 4-0मलानपुर में नाले की पटरी पर स्थित मुंडलाना रोड तक नाला निर्माण व पटरी निर्माण	18,15,000/-
11	मुंडलाना रोड पर स्थित प्रवेज के खेत से शशि भूसन के खेत की ओर साइड पर पटरी निर्माण	14,67,000/-
12	मुंडलाना रोड पर शशि भूषण के खेत से मुफ़्ती राशिद के खेत की ओर साइड पर पटरी निर्माण	16,07,000/-
13	वार्ड न 14-0सरायजीज में कब्रिस्तान से पुलिया तक नाले के दोनों ओर साइड पर पटरी निर्माण	9,97,000
14	लिम्बरहेड़ी रोड पर स्थित नाले पर सरकारी तलब से लतीफ के खेत की ओर साइड पर पटरी निर्माण	19,66,000 /-
15	वार्ड न 14-0सरायजीज में अकबर कल्लू के मकान से मेहरदीन के मकान की ओर साइड पर पटरी निर्माण	10,50,000/-
16	लिम्बरहेड़ी रोड पर स्थित गुलफाम के खेत से प्रमोद के बाग तक साइड पर पटरी निर्माण	14,93,000/-
17	मुंडलाना रोड पर स्थित कब्रिस्तान के रास्ते भूषण के खेत की ओर साइड पर पटरी निर्माण	14,68,000/-
18	मुंडलाना रोड पर नाले पर स्थित कब्रिस्तान वाले के पल से एरशाद के मकान की ओर साइड पर पटरी निर्माण	15,08,000/-
19	वार्ड न 1-0सैनीपुरा से अकबर के मकान तक नाले के दोनों ओर साइड पर पटरी निर्माण	14,90,000/-
20	वार्ड न 1-0सैनीपुरा में मुंडलाना रोड पर अशफल के प्लाट से तलब तक साइड पर पटरी निर्माण	20,60,000/-

21	लिम्बरहेड़ी रोड पर स्थित नाले के पास स्माइल के खेत से शरीफ के खेत की ओर साइड पर पटरी निर्माण	19,06,000/-
22	वार्ड न 14-0सरायजीज में कब्रिस्तान में पुलिया के पास से अनवर के मकान की ओर साइड पर पटरी निर्माण	16,51,000/-
23	लिम्बरहेड़ी रोड पर स्थित नाले पर लतीफ के खेत की ओर साइड पर पटरी निर्माण	19,14,000/-
		339,17,174

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उपरोक्त 23 कार्य जिनकी कुल लागत ₹ 339.17 लाख थी, कार्यदेश जारी होने के बाद लेखापरीक्षा तिथि (12/2020) तक लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात भी प्रारम्भ नहीं किए गए थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि माह मार्च 2020 में लाकडाउन घोषित होने के कारण सभी निर्माण कार्य बंद कराये गए थे जिसे प्रारम्भ होने में समय लगा है। वर्तमान में सभी कार्य गतिमान है तथा उक्त सभी कार्यों को कराये जाने हेतु आगामी बोर्ड बैठक में समय वृद्धि प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिन कार्यों का कार्यादेश नवम्बर 2019 में निर्गत किया गया था उन्हें 90 दिन के अनुसार लाकडाउन से पूर्व पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था एवं जो कार्य जनवरी या फरवरी में प्रारम्भ किए गए थे उन्हे लाक डाउन के बाद अब तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था किन्तु वे सभी कार्य अभी तक प्रारम्भ भी नहीं कराये गए थे।

अतः ₹ 339.17 लाख की लागत के 23 कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक:कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर, जनपद-हरिद्वार** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2019-20** की संप्रेक्षा श्री केदार सिंह, स. ले.प.अ., श्री हिमांशु शर्मा, स0ले0प0अ0 तथा श्री अरविंद शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक **10.12.2020** से **22.12.2020** तक श्री सुनील कल्ला, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 (अ)**	**भाग-2(ब)**	**स्टैन**
स्था-प्रतिवेदन संख्या/.नि.35/2015-16	प्रस्तर संख्या - 01	प्रस्तर संख्या-1,2,3,4,	शून्य
स्था-प्रतिवेदन संख्या/.नि.37/2017-18	शून्य	प्रस्तर संख्या 1,2,3,4,5,6	शून्य
स्था-प्रतिवेदन संख्या/.नि.106/2019-20	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 08	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
		इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।	इकाई द्वारा विगत समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका। अतः समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर, जनपद-हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री अजहर अली	अधिशासी अधिकारी	02-12-2018 से 19-08-2019
02	श्री शाहिद अली	अधिशासी अधिकारी	18.09.2019 से वर्तमान तक
अध्यक्ष/प्रशासक			
01	श्री दिलशाद अली	अध्यक्ष	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंगलौर, जनपद-हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये |

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II